R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड VIII ◆ अंक 6
दिसम्बर 2011

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

वर्ष 2011 की महत्वपूर्ण बैंकिंग और वित्तीय गतिविधियाँ

जनवरी

- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर में 25 आधार अंक बढ़ाकर उसे 25 जनवरी 2011 6.25 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत कर दिया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करके उसे 25 जनवरी 2011 5.25 प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत किया गया।
- बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं 25 जनवरी 2011 से संशोधित रिपो दर अर्थात् 6.50 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी।
- घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) रिपोर्टिंग के अधीन टीयर-3 से टीयर-6 केंद्रों (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 तक की आबादी वाले)तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों के ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यालय और केंद्रीय संसाधन केंद्र (सीपीसीएस)/सेवा शाखाएँ खोलने की सामान्य अनुमति दी गई।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को सूचित किया गया कि वे अतिदेय मानक परिसंपत्तियों के 0.25 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करें।
- संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी II जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबीएस), स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबीएस), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबीएस) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ नहीं हैं और जिनकी निवल मालियत 5 करोड़ रुपये हैं, वे अपने विदेशी मुद्रागत जोखिमों की हेजिंग के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में पदनामित करेंसी फ्यूचर्स और करेंसी ऑपशन्स में केवल ग्राहक के रूप में भाग ले सकते हैं।

फरवरी

- सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को सूचित किया गया कि वे उन कार्यरत कर्मचारियों के लिए जिन्होंने पहले पेंशन विकल्प नहीं चुना था उनके लिए पेंशन विकल्प पुन: खोलने तथा साथ ही उपदान सीमाओं में वृद्धि के कारण अतिरिक्त देयता का पूरा निर्धारण करें और वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए उस देयता को लाभ और हानि खाता में प्रभारित करें।
- जमाराशि स्वीकार करनेवाली सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया कि वे टीयर I और टीयर II पूँजी रखनेवाला एक न्यूनतम पूँजी अनुपात बनाए रखें जो 31 मार्च 2012 से उनके तुलनपत्र पर सकल जोखिम भारित आस्तियों तथा तुलनपत्रेतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य के 15 प्रतिशत से कम न हो।
- बैंकों को सूचित किया गया कि निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत बैंकों द्वारा गलत रूप से वर्गीकृत और बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान प्रधान निरीक्षण अधिकारी द्वारा सूचित ऐसे ऋणों की राशि की प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों के अंतर्गत कमी के रूप में गणना की जाएगी।
- सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) को सूचित किया गया कि वे जीरो कूपन बॉड(जेसीबी) में तब तक निवेश न करें जब तक जारीकर्ता सभी उपार्जित ब्याज हेतु निक्षेप निधि तैयार नहीं करते हैं तथा उसका तरल निवेश/प्रतिभूति (सरकारी बॉड में) के रूप में निवेश नहीं करते हैं।
- रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर व्यक्तियों को या अन्य संस्थाओं को ऋण देने के प्रयोजन हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मंजूर किए गए ऋण, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए पात्र नहीं है। उसी प्रकार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आरंभ की गई जमानती आस्तियों में बैंकों द्वारा किए गए निवेश, जहाँ अंतर्निहित आस्तियाँ स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर ऋण और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से क्रय किए गए स्वर्ण ऋण संविभाग/समनुदेशन हों, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के पात्र नहीं है।

मार्च

- भारत सरकार द्वारा जारी 91 दिनों के राजकोषीय बिलों पर ब्याज दर फ्यूचर्स लाने के लिए निर्णय लिया गया।
- रिपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करके उसे 17 मार्च 2011 से 6.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत किया गया।
- प्रत्यावर्तनीय रिपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी करके उसे 17 मार्च 2011 से 5.50 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत किया गया।
- बैंकों (निर्यात ऋण पुनर्वित्त) और प्राथमिक व्यापारियों (संपार्श्विक चलनिधि सहायता) को प्रदान की जाने वाली स्थायी चलनिधि सुविधाएं 17 मार्च 2011 से संशोधित रिपो दर अर्थात् 6.75 प्रतिशत पर उपलब्ध होंगी।
- बैंकों को सूचित किया गया कि वे 30 जून 2011 तक विभिन्न माध्यमों से डेबिट/क्रेडिट कार्ड के उपयोग को शामिल करने वाली किसी भी राशि के सभी प्रकार के लेनदेन के लिए ऑनलाइन एलर्ट की प्रणाली लागू करें।
- सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं, प्रणाली सहभागियों तथा संभावित पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ताओं को सूचित किया गया कि राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एनआरजीइए द्वारा जारी एक जॉब कार्ड तथा नाम, पता और आधार संख्या के ब्योरे को शामिल करनेवाले भारतीय अनोखी पहचान प्राधिकार द्वारा जारी पत्र को 5,000रु. तक के अर्द्धबन्द पूर्वदत्त कार्ड जारी करते समय पहचान के लिए एक कानूनी दस्तावेज के रूप में विचार करें।
- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का किसी भागीदारी फर्म में पूंजी अंशदान अथवा भागीदारी फर्म में भागीदार बनने को प्रतिबंधित किया गया। मौजूदा भागीदारी के मामले में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भागीदारी फर्म से स्वयं को पहले ही अलग कर लें।
- टियर 3 से टियर 6 के केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए पात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना ऐसा कर सकते हैं और कार्योपरांत सहज ही लाइसेंस जारी किए जाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

अप्रैल

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्वतंत्रता दी गई कि वे वित्तीय वर्ष 2010-11 2011-12 और 2012-13 के लिए एसएलआर प्रतिभूतियों में अपने समस्त निवेश संविभाग को बही मूल्य के आधार पर प्रतिभूतियों की बकाया अवधि के लिए प्रीमियम के परिशोधन, यदि कोई हो सहित "परिपक्वता तक धारित" (हेल्ड

मेच्युरिटी) के अंतर्गत वर्गीकृत करें।

- सभी प्रायोजक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया गया कि वे ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित करें / उक्त साफ्टवेयर पैकेज को इस प्रकार संशोधित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कृषि ऋणों पर ब्याज को मूलधन में जोड़ना, इस विषय पर उन्हें जारी किए गए वर्तमान अनुदेशों के अनुरूप हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे संगत मामलों की पुनःजाँच करें और गलती से अधिक लगाई गई ब्याज की राशि को उक्त खातों में पुनः जमा करें।
- निर्यातकों को लागत में कमी (अतिदेय निर्यात बिलों पर ब्याज लागत)के लिए अतिदेय निर्यात बिल वाले निर्यातकों को अनुमति दी गई कि वे अपने रुपया संसाधनों से अपने अतिदेय लदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण को समाप्त करें। वसूली के लिए निर्यातक की देयता निर्यात बिल की वसूली तक जारी रहेगी।
- आवास ऋणों पर 1 प्रतिशत की ब्याज अनुदान योजना को 15 लाख रुपए तक के आवास ऋणों के लिए बढ़ाया गया जहाँ आवास की लागत 25 लाख रुपए से अधिक नहीं है। पूर्व में यह सीमा क्रमशः 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए थी।
- अभिरक्षक (कस्टोडियन) बैंकों को पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआइएस) के तहत शेयरों की खरीद के लिए उनके विदेशी संस्थागत निवेशक ग्राहकों की ओर से स्टॉक एक्स्चेंजों/स्टॉक एक्स्चेंजों के समाशोधन निगमों के पक्ष में अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं (आइपीसी) जारी करने के लिए अनुमति दी गई। रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी पूँजी बाजार के प्रति बैंकों के एक्सपोजर संबंधी रिज़र्व बैंक विनियमावली के अनुसार अविकल्पी अदायगी प्रतिबद्धताएं (आइपीसी) जारी होनी चाहिए।

मई

- घरेलू और साधारण अनिवासी जमाराशियों तथा अनिवासी (बाह्य) खाता योजना के अंतर्गत बचत जमाराशियों पर ब्याज दर 3.5 प्रतिशत को 3 मई 2011 से 0.5 प्रतिशत अंक बढ़ाकर 4.00 प्रतिशत वार्षिक किया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन रिपो दर में 3 मई 2011 से 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी करके उसे 6.75 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत किया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन प्रत्यावर्तनीय रिपो दर जो रिपो दर से 100 आधार अंकों के स्प्रेड से कम पर निर्धारित है 3 मई 2011 से 6.25 प्रतिशत होगी।
- प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत 20 लाख रुपए तक के आवास ऋणों की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया। बढ़ी हुई सीमा बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों को मंजूर किए गए ऋणों को छोड़कर प्रति परिवार मकान की खरीद/निर्माण के लिए 01 अप्रैल 2011 से लागू होगी।
- एक नयी सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) 9 मई 2011 से शुरु की गई। ऐसे सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक जिनका रिज़र्व बेंक के साथ चालू खाता और एसजीएल खाता है, एमएसएफ योजना में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। इस सुविधा के अंतर्गत लाभ उठाई गई राशि पर ब्याज दर एलएएफ रिपो दर के 100 आधार बिंदु ऊपर अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये अनुसार होगी।
- आगे व्यक्तियों को या स्व-सहायता समूहों/संयुक्त देयता समूहों को उधार दिए जाने हेतु सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को 01 अप्रैल 2011 को या उसके बाद दिया गया बैंक ऋण, संबंधित श्रेणियों अर्थात् कृषि, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, सूक्ष्म ऋण (अन्य प्रयोजनों के लिए) श्रेणियों में परोक्ष वित्तपोषण के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र होगा। परंतु शर्त यह है कि उक्त माइक्रो फाइनांस संस्था की कुल आस्तियों (नकदी, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के पास शेष राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार के लिखतों से भिन्न) में 'अर्हक स्वरूप की आस्तियाँ' 85 प्रतिशत से कम नहीं हों। इसके अतिरिक्त आय सृजन के कार्यकलापों के लिए प्रदान की गई ऋण राशि, माइक्रो फाइनांस संस्था द्वारा दिए गए कुल ऋण के 75 प्रतिशत से कम न हो।
- एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन के बिना मोबाइल बैंकिंग के 1000/-रु. तक के लेनदेन करने की पूर्व की सीमा बढ़ाकर 5000/-रु किया गया। संशोधित सीमा 4 मई 2011 से प्रभावी होगी।
- शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई कि वे अपनी कुल आस्तियों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक आवास ऋण के लिए व्यक्तियों को 15 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करें। पूर्व में शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे अपनी कुल आस्तियों के 10 प्रतिशत तक आवास, भू संपदा और वाणिज्यिक भू संपदा को ऋण प्रदान करें तथा अपनी कुल आस्तियों के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक का ऋण 10 लाख रुपए तक की लागत वाली आवासीय इकाईयों की खरीद और निर्माण के लिए प्रदान करें।
- प्राथमिक व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया ताकि वे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार अनिवासी निवेशक/निवेशकों द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के शेयरों को गिरवी रखने की अनुमति दे सकें।
- कतिपय श्रेणियों के अनर्जक अग्रिमों तथा पुनर्रचित अग्रिमों पर प्रावधानीकरण अपेक्षाओं में वृद्धि की गई। बढ़ी हई दरें हैं-(i) एक वर्ष तक "संदिग्ध" श्रेणी में पड़े अग्रिमों के जमानती हिस्से पर 25 प्रतिशत प्रावधान लागू होगा; (ii) एक वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष से कम समय तक "संदिग्ध" श्रेणी में पड़े अग्रिमों के जमानती हिस्से पर 40 प्रतिशत प्रावधान लागू होगा; (iii) मानक अग्रिमों के रूप में पुनर्रचित खातों पर खातों की पुनर्रचना की तारीख से पहले दो वर्ष तक 2 प्रतिशत प्रावधान लागू होगा। पुनर्रचना के बाद ब्याज/मूलधन के भुगतान पर अधिस्थगन के मामलों में ऐसे अग्रिमों पर अधिस्थगन अवधि के दौरान तथा उनके बाद दो वर्ष तक 2 प्रतिशत प्रावधान लागू होगा; और(iv) अनर्जक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों का दर्जा बढ़ाकर जब उन्हें मानक श्रेणी में डाल दिया जाता है तो उन पर मानक श्रेणी के दर्जे में प्रवेश करने की तारीख से पहले वर्ष के दौरान 2 प्रतिशत प्रावधान लागू होगा।
- जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक शिकायत के निवारण हेतु समय सीमा ग्राहक शिकायत प्राप्ति से 12 कार्यदिवसों से घटाकर 7 कार्यदिवस किया गया। शिकायत प्राप्त होने से 7 कार्यदिवसों के भीतर ग्राहक के खाते में पुनः पैसा जमा करने में विफलता की स्थिति में जारीकर्ता बैंक द्वारा ग्राहक को ' 100/- प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
- बचत बैंक खाता धारकों के लिए अन्य बैंक एटीएम में प्रतिमाह मुफ्त लेनदेन की संख्या में सभी लेनदेन, वित्तीय तथा गैर वित्तीय शामिल होंगे।

जून

- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों(यूसीबी) के आउटरीच को बढाने तथा वित्तीय समावेशन को बढावा देने हेतु एक अतिरिक्त चैनल खोलने की दृष्टि से स्वयं सहायता समूह /संयुक्त देयता समूह को उधार देने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को अनुमति दी गई । शहरी सहकारी बैंक इस प्रकार की गतिविधि शुरू करने से पहले अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से दिए गए दिशानिर्देशों के आधार पर एक व्यापक नीति तैयार करेंगे।
- रिपो दर में 16 जून 2011 से 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर उसे 7.25 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत कर दिया गया।
- प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 16 जून 2011 से स्वतः 6.50 प्रतिशत पर समायोजित हो गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा दर 16 जून 2011 से 8.50 पर समायोजित हो गई।
- विदेश में सहायक कंपनी/संयुक्त उद्यम/प्रतिनिधि कार्यालय खोलने या किसी विदेशी संस्था में निवेश करने की इच्छुक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए रिज़र्व बैंक ने दिशानिर्देश जारी किए।
- मूल बैंकों पर संसाधन प्रभारों की उगाही के लिए समाशोधन गृहों/संसाधन केंद्रों को अनुमति दी गई। सेवा कर सहित ये प्रभार हैं- (i) प्रत्येक जावक लेनदेन के लिए 25 पैसे, और (ii) प्रत्येक वापसी लेनदेन के लिए 25 पैसे। लक्ष्य बैंकों को मूल बैंकों द्वारा सेवा कर सहित निम्न प्रकार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा; (i) प्रत्येक जमा लेनदेन के लिए 25 पैसे, और (ii)प्रत्येक नामे लेनदेन के लिए 50 पैसे।

जुलाई

- बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपनी वार्षिक विस्तार शाखा योजना (एबीईपी) की तैयारी करते समय वर्ष के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित

कुल शाखाओं में से कम से कम 25 प्रतिशत आबंटन बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में करें। किसी बैंक रहित ग्रामीण केंद्र का अर्थ होगा कि कोई ग्रामीण (टीयर 5 टीयर 6) केंद्र वह है जिसके पास ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन के लिए किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की कोई पारंपरिक शाखा नहीं है।

- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 26 जुलाई 2011 से रिपो दर में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर उसे 7.5 प्रतिशत से 8.0 प्रतिशत किया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 26 जुलाई 2011 से स्वतः 7.0 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी।
- रिपो दर से 100 आधार अंको के अधिक के अंतर पर निर्धारित की गई सीमांत स्थायी सुविधा दर 9.0 प्रतिशत पर निर्धारित की गई।
- रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि अब यह अनिवार्य होगा कि टीयर 3 से टीयर 6 में खोलने के लिए प्रस्तावित शाखाओं की कुल संख्या में से कम से कम एक तिहाई शाखाएं कम बैंक वाले राज्यों के कम बैंक वाले जिलों में खोली जाएं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंक रहित केंद्रों में खोले जाने के लिए प्रस्तावित ग्रामीण शाखाएं जो कम बैंक वाले राज्यों के कम बैंक वाले जिलों में स्थित हो सकती हैं को छोड़कर कम बैंक वाले राज्यों के कम बैंक वाले जिलों के टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों में खाले जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक शाखा के लिए उन्हें किसी टीयर 1 केंद्र में कोई शाखा खोलने हेतु प्राधिकार दिया जाएगा।
- अनिवासी आयातकों तथा निर्यातकों को भारतीय रुपए में इनवाइस किए गए भारत से निर्यात एवं भारत में आयात के लिए अपने मुद्रा जोखिमों को भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के साथ हेज करने की अनुमति दी गई।
- 1 वर्ष तक की भारित औसत परिपक्वता के पोर्टफोलियो वाली म्युच्युअल फंडों की तरल/अल्पावधिक योजनाओं में बैंकों का कुल निवेश पिछले वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार उनकी निवल मालियत के 10 प्रतिशत की विवेकपूर्ण अधिकतम सीमा के अधीन होगा ।

अगस्त

- बैंकों को कतिपय शर्तों के अधीन कारपोरेट को प्रीपेड भुगतान लिखत आगे अपने कर्मचारियों को जारी करने के लिए अनुमति दी गई।
- 'इलेक्ट्रानिक हितलाभ अंतरण (ईबीटी) और वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) के साथ संकेंद्रण का कार्यान्वयन' पर परिचालनात्मक दिशा-निर्देश जारी किया गया।
- रिज़र्व बैंक ने भाग लेने वाले सभी बैंकों से पुनः यह कहा है कि शाखा में या इंटरनेट के जरिए या किसी भी दूसरे साधन के माध्यम से धन अंतरण शुरु करते समय ग्राहक को आरटीजीएस/एनइएफटी के बीच चुनाव करने का विकल्प प्रदान करें।
- रिज़र्व बैंक ने यह दुहराया है कि चेकों का अस्वीकरण/वापस होने पर चेक वापसी ज्ञापन में 'वापसी तारीख' का उल्लेख करना आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए कानूनी कार्रवाई का सहारा लेने की स्थिति में दस्तावेज़ का महत्व बताते हुए यह संकेत किया गया है कि बिना भुगतान के वापस किये गये लिखतों पर हस्ताक्षर/आद्यक्षर की हुई आपत्ति पर्ची भी होनी चाहिए जिस पर भुगतान से मना करने का निश्चित और वैध कारण का उल्लेख अवश्य रहे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अपने इस रूझान को दुहराया है कि 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि के सभी डिमांड ड्राफ्ट, मेल ट्रांसफर, तार अंतरण और यात्री चेक नकद भुगतान के बदले नहीं बल्कि केवल ग्राहक के खाते को नामे करके या क्रेता द्वारा दिए गए चेक या अन्य लिखतों के बदले जारी करने चाहिए। ये अनुदेश स्वर्ण/चाँदी/प्लैटिनम की खुदरा बिक्री पर भी लागू होंगे।

सितंबर

- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर में 16 सितंबर 2011 से 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर उसे 8.00 प्रतिशत से 8.25 प्रतिशत कर दिया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 16 सितंबर 2011 से स्वतः 7.0 प्रतिशत से बढ़कर 7.25 प्रतिशत पर समायोजित हो गई तथा सीमांत स्थायी सुविधा दर 9.0 प्रतिशत से बढ़कर 9.25 पर समायोजित हो गई।
- ग्राहक सेवा प्रयासों के रूप में बैंकों को अनुमति दी गई कि वे रिज़र्व बैंक को छोड़कर समस्त बैंकिंग क्षेत्र में हड़ताल होने अथवा इस क्षेत्र/देश में किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में रिज़र्व बैंक से नकदी आहरित करने के द्वारा अपने एटीएम में नकदी की आपूर्ति करें।
- भारत में निवासी व्यक्तियों को अपने निवासी बैंक खाते के साथ-साथ निर्यातक अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) और निवासी विदेशी मुद्रा खाते (आरएफसी) में 'प्रथम या उत्तरजीवी' आधार पर अपने निकट संबंधी(संबंधियों) को संयुक्त खाताधारक के रूप में शामिल करने की अनुमति दी गई। हालाँकि, ऐसा भारतीय निवासी घनिष्ठ संबंधी, जिसे संयुक्त खाता धारक के रूप में शामिल करने की पात्रता दी गयी है, निवासी खाता धारक के जीवन काल में उक्त खाते के परिचालन के लिए पात्र नहीं होगा।
- अनिवासी भारतीयों को 'प्रथम या उत्तरजीवी' आधार पर अपने भारतीय निवासी घनिष्ठ संबंधी(संबंधियों) के साथ अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना/विदेशी मुद्रा(अनिवासी) खाता(बैंक) योजना(बी) खाते खोलने की अनुमति दी गई। भारतीय निवासी के घनिष्ठ संबंधी अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति खाताधारक के जीवन काल में मुख्तारनामा धारक के रूप में खाते का परिचालन करने के लिए पात्र होगा।
- भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति को प्रति वित्तीय वर्ष 50,000 अमरीकी डॉलर तक की प्रतिभूति/शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचरों को रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना उपहार में देने की प्रदान की गई।
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत बिक्रीगत आमदनी को अनिवासी (बाह्य) रुपया(एनआरई) खाता योजना/विदेशी मुद्रा(अनिवासी) खाता एफसीएनआर(बैंक) योजना (बी) खातों में जमा करने की अनुमति प्रदान की गई। तथापि, इसे अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा उनके आवक प्रेषण के प्रतिफल अथवा अपने एनआरई/एफसीएनआर(बी) खाते में धारित निधियों द्वारा क्रय किया गया हो।
- निवासी व्यक्तियों को अपने घनिष्ठ संबंधी जो अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति हैं को रुपये में उपहार रेखित (क्रास) चेक/इलेक्ट्रानिक अंतरण की अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति के अनिवासी (सामान्य) रुपया खाता (एनआरओ)में जमा करने की अनुमति दी गई। उपहार राशि निवासी व्यक्ति को उदारीकृत विप्रेषण योजना(एलआरएस) के अंतर्गत यथाअनुमत प्रति वित्तीय वर्ष में 200,000 अमरीकी डॉलर की समग्र उच्चतम सीमा के तहत होगी।
- निवासी व्यक्तियों को अपने अनिवासी भारतीय घनिष्ठ रिश्तेदारों द्वारा भारत में रुपए में बैंकों से लिए गए ऋणों की अदायगी के लिए आम मंजूरी प्रदान की गई। निवासी व्यक्ति द्वारा अनिवासी भारतीय घनिष्ठ रिश्तेदार के ऋण खाते में अपने बैंक खाते से राशि अंतरित कर अदायगी कर सकता है।
- भारत आनेवाले अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों की चिकित्सा पर भारतीय निवासी द्वारा व्यय करने की अनुमति दी गई।
- भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक निम्नलिखित क्षेत्रों (i) हस्तशिल्प; (ii) हथकरघा; (iii) कार्पेट; और (iv) छोटे और मझोले उद्यम (एसएमई) को रुपया निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत अंक की ब्याज सहायता प्रदान किए जाने के अनुपालन में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 7 प्रतिशत की न्यूनतम नियत दर के अधीन उपलब्ध ब्याज अनुदान की राशि के द्वारा इन क्षेत्रों में आधार दर प्रणाली के अनुसार निर्यातकों को प्रभार योग्य ब्याज दर में कमी करें।
- विनिर्दिष्ट सेवा-क्षेत्र यथा होटल, अस्पताल और साफ्टवेयर क्षेत्र की कंपनियाँ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की 100 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य राशि की सीमा के बदले अब 200 मिलियन अमरीकी डॉलर या उसकी समतुल्य राशि की सीमा तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बाह्य वाणिज्यिक उधार इस शर्त के साथ ले सकती हैं कि यह बाह्य वाणिज्यिक उधार राशि, भूमि के अधिग्रहण, के लिए उपयोग में नहीं लायी जाएगी।
- बाह्य वाणिज्यिक उधार संबंधी वर्तमान दिशानिर्देशों में यथा परिभाषित 'इंफ्रास्ट्रक्चर ' के तहत आनेवाले इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को शर्तों के अधीन अनुमोदन मार्ग के तहत तात्कालिक वित्तीय सहायता/ब्रिज लोन के स्वरुप के अल्पावधि ऋण लेकर (क्रेता/ आपूर्तिकर्ता साख/क्रेडिट सहित) पूँजीकृत वस्तुओं का आयात करने की अनुमति दी गई।
- जिन अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक के पास 100 करोड़ रुपये का न्यूनतम शुद्ध आय जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) कम-से-कम 10 प्रतिशत का हो, निवल गैर-निष्पादन आस्ति (एनपीए) 5

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **MR/Tech/WPP-208/South/09-11** **Regd. No. MH/MR/South-29/2009-11**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

प्रतिशत से कम हो और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में निरंतर निवल लाभ अर्जित किया हो उन्हें अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी गई।

- इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की भारतीय कंपनियों को अगली समीक्षा के अधीन अनुमोदन मार्ग से एक बिलियन अमरीकी डालर की वार्षिक सीमा के तहत रेन्मिन्बी (आरएमबी) में बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने की अनुमति दी गई।

अक्टूबर

- भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को एफसीएनआर(बी) खाते में किसी भी अनुमत मुद्रा में जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गई।
- निवासी व्यक्तियों के लिए बचत बैंक जमा ब्याज दर को 25 अक्तूबर 2011 से विनियंत्रित किया गया है। बैंक इन शर्तों के अधीन अपनी बचत बैंक जमा ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं कि-(i) प्रत्येक बैंक 1 लाख रुपये तक की बचत बैंक जमाराशियों पर एक समान ब्याज दर प्रदान करेंगे चाहे इस सीमा के भीतर खाते में राशि कुछ भी हो, (ii) 1 लाख रुपये से अधिक बचत बैंक जमाराशियों के लिए बैंक विभेदक ब्याज दरें प्रदान करने का विकल्प चुन सकते हैं बशर्ते वे ऐसी जमाराशियों पर देय ब्याज अर्थात् अपने किसी कार्यालय में एक ही तारीख को स्वीकृत समान राशि की एक जमाराशि तथा दूसरी जमाराशि के बीच देय ब्याज के मामले में कोई भेद नहीं करेंगे।
- रिपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर 25 अक्टूबर 2011 से उसे 8.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.5 प्रतिशत किया गया।
- प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 25 अक्टूबर 2011 से 7.5 प्रतिशत पर समायोजित की गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर 25 अक्टूबर 2011 से 9.5 प्रतिशत पर समायोजित की गई ।
- टीयर-I शहरी सहकारी बैंकों को विद्यमान विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा के अधीन किसी आवासीय इकाई के प्रति लाभार्थी को अधिकतम 30 लाख रुपए का व्यक्तिगत ऋण तथा टीयर-II शहरी सहकारी बैंकों को किसी आवासीय इकाई के प्रति लाभार्थी को अधिकतम 70 लाख रुपए का व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की अनुमति दी गई।
- शहरी सहकारी बैंकों द्वारा संस्वीकृत आवास ऋणों की अधिकतम चुकौती अवधि (मुहलत अथवा चुकौती अवकाश सहित) पूर्व की 15 वर्ष की अवधि से बढ़ाकर से बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई।

नवंबर

- भारत में रुपया व्यय जैसेकि पूंजीगत माल को स्थानीय स्तर पर जुटाने, स्वयं सहायता समूहों अथवा माइक्रो क्रेडिट के लिए ऋण देने, स्पैक्ट्रम आबंटन के भुगतान करने, आदि के लिए विदेश में उठायी/ली गयी बाह्य वाणिज्यिक उधारों की प्राप्तियां भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के पास रखे रुपया खाते में जमा करने के लिए तत्काल लायी जाएं।
- 23 नवंबर 2011 को भारत में कारोबार की समाप्ति से एक से तीन वर्ष तक की परिपक्वता अवधि की नयी अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस को अमरीकी डालर के लिए तदनुरूप परिपक्वता अवधि पर लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 275 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियों तथा वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत जमाराशियों के लिए भी ये ब्याज दरें लागू होंगी।
- 23 नवंबर 2011 को भारत में कारोबार की समाप्ति से संविदाकृत सभी परिपक्वता अवधियों की एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के संबंध में ब्याज का भुगतान संबंधित मुद्रा/तदनुरूप परिपक्वता अवधियों के लिए लागू लाइबोर/स्वैप दरों से 125 आधार अंक अधिक की उच्चतम दर के भीतर किया जाएगा। अस्थायी दर वाली जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान संबंधित मुद्रा/परिपक्वता अवधि पर लागू स्वैप दरों से 125 आधार अंक अधिक की उच्चतम सीमा के भीतर किया जाएगा। अस्थायी दर जमाराशियों के लिए ब्याज पुनर्निर्धारण अवधि छह महीने होगी।
- बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा में दिए गए निर्यात ऋण पर अधिकतम ब्याज दर लाइबोर से 200 आधार अंक अधिक की वर्तमान सीमा को 15 नवंबर 2011 से 31 मार्च 2012 तक बढ़ाकर इस शर्त के अधीन लाइबोर से 350 आधार अंक अधिक किया गया है कि फुटकर खर्च की वसूली को छोड़कर बैंक सेवा प्रभार, प्रबंधन प्रभार आदि जैसे कोई अन्य प्रभार नहीं लगाएंगे । ब्याज दरों में इसी प्रकार के परिवर्तन उन मामलों में किए गए हैं जहां यूरो लाइबोर/यूरीबोर को बेंचमार्क माना गया है। ब्याज दरों में ये संशोधन केवल नए अग्रिमों पर लागू होंगे तथा इन दरों की समीक्षा 31 मार्च 2012 के बाद की जाएगी।
- विदेशी बैंकों के साथ ऋण व्यवस्था पर ब्याज दर की उच्चतम सीमा को 15 नवंबर 2011 से 31 मार्च 2012 तक छह माह लाइबोर/यूरो लाइबोर/यूरीबोर से 100 आधार अंक अधिक से बढ़ाकर छह माह लाइबोर/यूरो लाइबोर/यूरीबोर से 250 आधार अंक अधिक कर दिया गया है।
- रिज़र्व बैंक ने जनहित तथा बैंककारी नीति के हित में चेकों/ड्राफ्टों/भुगतान आदेशों/ बैंकर चेकों को जारी करने की तारीख से उन्हें भुगतान के लिए प्रस्तुत करने की अवधि को छ: महीने से घटाकर तीन महीना कर दिया।

दिसंबर

- अंतर्निहित एक्पोज़र के स्वरूप और अवधि से निरपेक्ष निवासियों द्वारा बुक की गई वायदा संविदाओं को एक बार निरस्त किए जाने के बाद दुबारा बुक नहीं किया जा सकता।
- सभी नकदी/टॉम/स्पॉट लेनदेन केवल वास्तविक प्रेषण/सुपुर्दगी के लिए शुरू किए जाएंगे और उनका निरसन/नकदी निपटान नहीं किया जा सकता है।
- अनिवासी बाह्य जमाराशियों और अनिवासी सामान्य खातों पर ब्याज दरों को नियंत्रणमुक्त किया गया। बैंकों को स्वतंत्रता दी गई है कि वे 16 दिसंबर 2011 से अनिवासी बाह्य जमा खाते और अनिवासी सामान्य खाते के अंतर्गत बचत जमा राशियों पर एक वर्ष अथवा उससे अधिक की परिपक्वतावाली बचत जमाराशियाँ और मियादी जमाराशियाँ दोनों पर अपना ब्याज दर निर्धारित करें। तथापि, अनिवासी बाह्य और अनिवासी सामान्य जमा राशियों पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज दरें उन दरों से अधिक नहीं होंगी जो उनके द्वारा तुलनात्मक घरेलू जमाराशियों पर प्रस्तुत की गई है।
- सहायक कंपनियों, सहायक कंपनियों से इतर और गैर वित्तीय सेवा पनियों में बैंकों के निवेश के लिए विवेकपूर्ण दिशानिर्देश निर्धारित किए गए।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की एक अलग श्रेणी उदाहरणार्थ; गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रो वित्त संस्था (एनबीएफसी-एमएफआइ) सृजित की गई।
- माइक्रो वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) को स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमत अंतिम उपयोग के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 10 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य बाह्य वाणिज्कि उधार प्राप्त करने की अनुमति दी गई।
- बैंकों को अनुमति दी गई कि वे अपने अधिक सांविधिक चलनिधि अनुपात धारिताओं के बदले सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत ओवर नाईट आधार पर रिज़र्व बैंक से स्वयं निधियाँ प्राप्त करें।

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

अपने सभी पाठकों के लिए

सुखी और समृद्ध

नव वर्ष की कामना करता है

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।